

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3802
12 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: डिजिटल कृषि मिशन

3802. श्री अनिल फिरोजिया:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कृषि क्षेत्र से संबंधित तत्समय आंकड़ों की अनुपलब्धता या अंतर-विभागीय आंकड़ों में विसंगतियां नीति निर्माण और लक्षित योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न करती हैं;
- (ख) यदि हां, तो 'डिजिटल कृषि मिशन' जैसे कार्यक्रमों के तहत डेटा एकीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किए जा रहे हैं;
- (ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भूजल स्तर में गिरावट और सिंचाई संकट के वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक सिंचाई आधारित फसलों (जैसे धान और गन्ना) के लिए प्रोत्साहन नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है; और
- (घ) यदि हां, तो सूक्ष्म सिंचाई, फसल विविधीकरण और जल-संवेदनशील कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

- (क) और (ख): सरकार ने सितंबर 2024 में डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। इस मिशन में देश में एक मज़बूत डिजिटल कृषि परिस्थितिकी तंत्र को सक्षम बनाने के उद्देश्य से कृषि के लिए एक डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली (केडीएसएस), और एक व्यापक मृदा उर्वरता एवं प्रोफ़ाइल मानचित्र के निर्माण की परिकल्पना की गई है। इससे किसान-केंद्रित नवीन डिजिटल समाधानों को बढ़ावा मिलेगा और सभी किसानों को समय पर फसल संबंधी विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। एग्रीस्टैक डीपीआई में कृषि क्षेत्र से जुड़ी तीन मूलभूत रजिस्ट्रियाँ या डेटाबेस अर्थात्, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र, बोर्ड गर्ड फसल की रजिस्ट्री और किसान रजिस्ट्री शामिल हैं, जिन्हें राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार कर रखरखाव किया जाता है।

किसान रजिस्ट्री किसानों के जनसांचियकीय विवरण, भूमि जोत और बोई गई फसलों के बारे में व्यापक और उपयोगी डेटा प्रदान करती है, जो किसानों को ऋण, बीमा, खरीद आदि जैसे लाभों और सेवाओं तक पहुँचने के लिए अपनी डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण करने में सक्षम बनाता है। यह राज्य को ऐसे समाधान तैयार करने में भी सक्षम बनाता है, जो किसानों को डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसे कि विश्वसनीय तरीके से इनपुट और उपज की ऑनलाइन खरीद और बिक्री तक पहुँच को सुगम बनाते हैं। डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डीसीएस) प्रणाली प्रत्येक कृषि भूखंड के लिए सटीक, वास्तविक समय की फसल क्षेत्र की जानकारी प्रदान करती है।

कृषि-डीएसएस सरकारी स्कीमों की जानकारी के साथ-साथ उपग्रह, मौसम, मिट्टी, फसल की प्रकृति, जलाशय और भूजल डेटा सहित भू-स्थानिक और गैर-भू-स्थानिक डेटा को एकीकृत और मानकीकृत करता है। कृषि-डीएसएस फसल मानचित्र, मृदा मानचित्र, स्वचालित उपज अनुमान मॉडल, सूखा/बाढ़ निगरानी प्रणालियाँ आदि प्रदान करता है, जो सरकार को साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सहायता करते हैं और अनुसंधान संस्थानों और कृषि प्रौद्योगिकी उद्योग को नवीन समाधानों तैयार करने में सुविधा प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण (एसएलयूएसआई) द्वारा एक राष्ट्रव्यापी मृदा संसाधन मानचित्रण परियोजना शुरू की गई है, जो टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के लिए तर्कसंगत भूमि उपयोग और फसल नियोजन हेतु मानकीकृत मृदा मानचित्रों के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह और जमीनी आंकड़ों का उपयोग करके 1:10,000 पैमाने पर गांव स्तर पर मृदा की सूची बना रही है।

(ग) और (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएफडब्ल्यू) वर्ष 2015-16 से देश में प्रति बूँद अधिक फसल (पीडीएमसी) की केंद्र प्रायोजित स्कीम को क्रियान्वित कर रहा है। पीडीएमसी सूक्ष्म सिंचाई, अर्थात् ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता बढ़ाने पर फोकस करता है। सूक्ष्म सिंचाई जल की बचत के साथ-साथ फर्टिगेशन, श्रम व्यय, अन्य इनपुट लागतों के माध्यम से उर्वरक के उपयोग को कम करने और किसानों की समग्र आय बढ़ाने में मदद करती है।

पीडीएमसी के तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों की स्थापना के लिए सरकार छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, राज्य सरकारें भी अपने राज्य बजट से किसानों को टॉप-अप सब्सिडी प्रदान करती हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित है।
